न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 35 / 2017 वाद — दायर दिनांक 12.06.2017

उनवान

1. नारायण पिता गोकल जाति अहीर आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चितौडगढ (राज)।
2. मांगीलाल पिता लच्छीराम जाति अहीर आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चितौडगढ (राज)।

1. भैरूलाल पिता हरलाल जाति अहीर आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चितौडगढ (राज)।
2. केशर पिता हरलाल जाति अहीर आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चितौडगढ (राज)।
3. भूमिधारी तहसीलदार कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज)।
4. उपपंजीयन अधिकारी कपासन जिला चित्तौड़गढ (राज)।
5. बंशीलाल पिता नाथुलाल मण्डोवरा आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

उपस्थितिः– अधिवक्ता श्री गोपाल दाधीच —वादीगण
अधिवक्ता श्री मनोज कुमार जाट —प्रतिवादी सं0 1, 2, 5

वाद पत्र अन्तर्गत 53, 88, 188 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांकः 11.11.2022

—:निर्णयः—

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रस्तुत कर निम्न निवेदन किया कि वाके मौजा गांव मुंगाना पटवार हल्का मुंगाना तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की पुश्तैनी की जमीन है जिसकी निम्न आराजीयात स्थित है– खाता संख्या 314 के आ0 सं0 1464 रकबा 0.37 है0, आ0 सं0 1470 रकबा 0.86 है0, आ0 सं0 1471 रकबा 0.38 है0, आ0 सं0 4816 / 3455 रकबा 0.11 है0 कुल 04 कुल रकबा 1.72 है0 स्थित है तथा लगान 18.89 रू0 में स्थित है। ताईद में नकल जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 में पेश है। तथा वादीगण का 1 / 2 व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 का 1 / 2 का बराबर हिस्सा निहित है।

यह कि वादपत्र की कॉलम सं0 1 में वर्णित सम्पति वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी की पुश्तैनी सम्पत्ति है तथा हिन्दु धर्म के कर्तव्यों के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 अपना हक प्राप्त करने के अधिकारी है।

यह कि प्रतिवादी सं0 1 व 2 बिना किसी आवश्यकता के उपरोक्त आराजीयात को विक्रय करने पर आमादा है वादीगण संयुक्त खातेदारी की आराजीयात का विधिवत न्यायालय द्वारा मिट्स एण्ड बॉण्ड के आधार पर बटवारा किया जाना आवश्यक है जब तक मिट्स एण्ड बॉण्ड के आधार पर बटवारा नहीं हो जाता है तब तक राजस्व रेकर्ड की व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु प्रतिवादीगणों को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है अगर पाबन्द नहीं किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.13 21:35:22 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गया तो वादीगण को अपार क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयों में नहीं आंका जा सकेगा तथा इससे प्रतिवादीगणों को कोई नुकसान नहीं होगा।

यह कि प्रतिवादी सं0 1. 2 कृषि भूमि का विभाजन किये बिना ही उक्त जमीन को विक्रय करने पर आमादा है बिना बटवाडा उक्त जमीन को विक्रय करने पर आमादा है जिससे स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा रोका जाना अति आवश्यक है। यह कि वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 को अनेक बार अपने हिस्से अनुसार विभाजन कराने को कहा परन्तु प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने बात नहीं मानी।

यह कि प्रतिवादीगण को दिनांक 18.02.2017 को उपरोक्त कृषि भूमि का विभाजन कराने को वादीगण ने कहा तो किसी भी प्रकार से कोई बात नहीं मानी तथा बिना किसी आवश्यकता के जमीन जायदाद को विक्रय करने पर आमादा है।

यह कि वाद पत्र हेतुक दिनांक 18.02.2017 को पैदा हुआ जो निरन्तर जारी है।

अन्त में प्रार्थना की कि–

–पक्षवादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय की डिक्री जारी फरमाई जावें कि वाद वर्णित खाता सं0 314 गांव मुंगाना में स्थित आराजीयात में वादीगणों के हक हिस्से अनुसार मिटस एण्ड बॉण्डस के आधार पर बटवारा करा अलग–अलग खातेदारी दर्ज करा, लगानबन्दी भी अलग कराई जाने की डिक्री प्रदान की जावें।

– वादपत्र की कॉलम सं0 1 में वर्णित खाता 314 में वर्णित विवादित आराजीयात के विभाजन खातेदारों के बीच होने तक प्रतिवादीगण किसी भी हिस्से को रहन बह बक्षीस, वसीयत किसी भी तरीके से अन्य को अन्तरण नही करे तथा प्रतिवादी सं0 3 व 4 उक्त आराजीयात संबंधी दस्तावेजो का पंजीयन नहीं करे ऐसा कृत्य न तो स्वयं करे और न ही अपने नौकर, एजेन्ट, परिवारजन से भी नहीं करावें इस बाबत स्थाई निषेधाज्ञा वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद डिक्री किया जावे।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से अधिवक्ता श्री मनोज कुमार जाट का अधिकार पत्र मय इकबालिया जवाब दावा के प्रस्तुत हुआ। उक्त वाद पत्र में दिनांक 01.08.2017 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई। जिस पर तहसीलदार कपासन द्वारा बटवाडा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। वादीगण की ओर से आपत्ति प्रस्तुत किये जाने से आपत्ति प्रार्थना पर उभयपक्ष की उपस्थिति में नवीन बटवाडा रिपोर्ट मंगवाई जाने के प्रार्थना पत्र बटवाडा रिपोर्ट पर आपत्ति स्वीकार किया जाकर नवीन सिरे से बटवाडा रिपोर्ट मंगवाई जाने बाबत् तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी की गई। दिनांक 10.11.2022 को तहसीलदार कपासन द्वारा नवीन बटवाडा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। आज दिनांक 11.11.2022 को बटवाड़ा रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिसमें वादी व प्रतिवादी के हस्ताक्षर होकर वादीगण व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा बटवाडा रिपोर्ट पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी। आज दिनांक 11.11.2022 को वाद पत्र अन्तिम रूप से डिक्री इस आशय की दी जाती है की मौजा मुंगाना पटवार हल्का मुंगाना तहसील कपासन [illegible] हल्के बैरूनी में आ0 सं0 1464 रकबा 0.37 है0, आ0 सं0 1470 रकबा 0.86 है0, आ0 सं0 14[illegible] रकबा 0.38 है0, आ0 सं0 4816/3455 रकबा 0.11 है0 कुल 04 कुल रकबा 1.72 है0, में तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.13 21:35:22 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 02.11.2022 के अनुसार निम्नानुसार बटवाडा किया जाता है, व केशर पुत्री हरलाल, भेरूलाल पुत्र हरलाल द्वारा अपनी सम्पूर्ण आराजीयात बंशीलाल पुत्र नाथुलाल मण्डोवरा सा0 देह खातेदार को विक्रय कर दिये जाने से उनके स्थान पर बंशीलाल पुत्र नाथुलाल जाति मण्डोवरा सा0 देह खातेदार का नाम अंकन किया जाता है।

1. नारायण पुत्र गोकल 1/2, मांगीलाल पुत्र लच्छीराम 1/2 जाति अहीर सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	1464/1	0.19	बारानी 2
2	1471/1	0.16	पाल
3	1470/1	0.45	पेटा 1
योग	कुल किता–3	0.80	

2. बंशीलाल पुत्र नाथुलाल जाति मण्डोवरा सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	1464/2	0.18	बारानी 2
2	1471/2	0.16	पाल
3	1470/2	0.35	पेटा 1
4	4816/3455	0.11	पड़त 2
योग	कुल किता– 4	0.80	

3. बंशीलाल पुत्र नाथुलाल जाति मण्डोवरा 1/2, नारायण पुत्र गोकल 1/4, मांगीलाल पुत्र लच्छीराम 1/4 जाति अहीर सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	1470/3	0.06	पेटा 1
2	1471/3	0.06	पाल
योग	कुल किता– 2	0.12	

तदनुसार अंकन हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें, अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो व पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 11.11.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.13 21:35:22 IST
Reason: SelfAttested